Australian Government
Department of Home Affairs

ऑस्ट्रेलिया में कार्य-स्थल अधिकार

ऑस्ट्रेलिया में कार्य-स्थल अधिकार किसे होते हैं?

ऑस्ट्रेलियाई कार्य-स्थल क़ानून उन कर्मचारियों की रक्षा करते हैं जिनका प्राथमिक कार्य-स्थल ऑस्ट्रेलिया में है, या जिन कर्मचारियों को किसी ऑस्ट्रेलियाई नियोक्ता ने नौकरी दी है। ऑस्ट्रेलियाई कार्य-स्थल क़ानूनों द्वारा रक्षित होने के लिए कर्मचारियों का ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी होना आवश्यक नहीं है।

वीज़ा धारकों को भी वही मौलिक कार्य-स्थल हकदारियाँ और सुरक्षाएँ प्राप्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे सभी लोगों को प्राप्त हैं। अनुबंध या समझौते इन हकदारियों को नहीं छीन सकते हैं।

मैं सहायता पाने के लिए कहाँ जा सकता हूँ?

Fair Work Ombudsman [निष्पक्ष कार्य लोकपाल][1] (FWO) ऑस्ट्रेलियाई क़ानूनों को लागू करता है।

FWO के पास ऐसे उपयोगी ऑनलाइन टूल्स हैं जहाँ आप अपने वेतन और पारिश्रमिक की जाँच कर सकते हैं और एक वेतन केलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं।[2] आप रिकॉर्ड माय आवर्स ऐप्प - निष्पक्ष कार्य लोकपाल[3] का प्रयोग करते हुए जल्दी से और आसानी से अपने कार्य घंटे दर्ज कर सकते हैं।

अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि आपका नियोक्ता आपके साथ उचित बर्ताव नहीं कर रहा है या ऑस्ट्रेलियाई क़ानूनों का पालन नहीं कर रहा है, तो आप जानकारी, सलाह या सहायता के लिए FWO [एफडब्ल्यूओ] को फ़ोन कर सकते हैं। आप उन्हें 13 13 94 पर फ़ोन कर सकते हैं।

आपको अन्य संगठनों से भी निःशुल्क क़ानूनी सहायता मिल सकती है, जैसे कि लीगल ऐड, कोई सामुदायिक क़ानूनी सहायता केन्द्र या कोई यूनियन।[4]

मेरे वीज़ा का क्या?

आपका नियोक्ता आपका वीज़ा रद्द नहीं कर सकते हैं, चाहे आपने अपने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया हो तो भी। केवल गृह मामले विभाग (गृह मामले) ही, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल (एबीएफ) सहित, वीज़ा प्रदान कर सकता है, प्रदान करने से मना कर सकता है, या रद्द कर सकता है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसे क़ानून लागू किए हैं जो कार्य-स्थल पर शोषण झेलने वाले वीज़ा धारकों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। ये नई सुरक्षाएँ Strengthening Reporting Protections Pilot [रिपोर्टिंग सुरक्षा दृढ़ीकरण पायलट][5] का हिस्सा है।

यदि आपके पास एक ऐसा अस्थाई वीज़ा है जिसमें **कार्य करने की अनुमति है**, तो आप इस आरंभिक (पायलट) कार्यक्रम के लिए पात्र हो सकते हैं।

यदि आप एक ऐसे अस्थाई **वीज़ा धारक हैं जिसे कार्य करने की अनुमति नहीं है, तो गृह मामले** विभाग आपके मामले पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार करेगा।

यदि आप इस पायलट कार्यक्रम के लिए पात्र हैं, तो गृह मामले विभाग आपका वीज़ा **रद्द नहीं करेगा** अगर:

- आपने कार्य-संबंधित किसी वीज़ा शर्त का उल्लंघन किया है, और
- उस वीज़ा उल्लंघन तथा कार्य-स्थल पर शोषण के मामले के बीच कोई संबंध है, और
- बशर्ते कि कुछ अन्य शर्तों का पालन किया गया है।

नई रिपोर्टिंग सुरक्षाओं तक पहुँच के लिए, यह अनिवार्य है कि:

- गृह मामले विभाग को सूचित करने से पहले आप कार्य-स्थल पर अपने शोषण के मामले को या तो किसी भागीदार सरकारी ऐजेंसी या फिर मान्यता-प्राप्त तृतीय पक्ष से प्रमाणित करवा लें[6]
- कार्य-स्थल पर शोषण के मामले और वीज़ा शर्त के उल्लंघन के बीच के संबंध को उल्लिखित करें, और
- अपने वीज़ा की शर्तों का भविष्य में पालन करने के लिए प्रतिबद्धता दें।

कार्य-स्थल पर अपने शोषण के बारे में गृह मामले विभाग को सूचित करने के लिए, आप Strengthening Reporting Protection Request Process form [रिपोर्टिंग सुरक्षा दृढ़ीकरण पायलट आग्रह प्रक्रिया फॉर्म] भर सकते हैं।[7]

मेरे कार्य-स्थल अधिकार क्या-क्या हैं?

कार्य पर आपके जो अधिकार हैं ऑस्ट्रेलिया में उनके बारे में कुछ नियम हैं, जैसे कि आपको जो न्यूनतम वेतन दिया जा सकता है (1 जुलाई 2024 को वर्तमान राष्ट्रीय न्यूनतम प्रति घंटा पारिश्रमिक दर , व्यस्क फुलटाइम और पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए $24.10 प्रति घंटा है), आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है और आपको कितनी बार मध्यांतर (ब्रेक) दिया जा सकता है।

[1] https://www.fairwork.gov.au/
[2] https://calculate.fairwork.gov.au/findyouraward
[3] https://www.fairwork.gov.au/tools-and-resources/record-my-hours-app
[4] https://www.fairwork.gov.au/tools-and-resources/other-workplace-relations-help/legal-help
[5] https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/work-rights-and-exploitation/strengthening-reporting-protections-pilot
[6] https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/work-rights-and-exploitation/strengthening-reporting-protections-pilot#content-index-3
[7] https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/work-rights- and-exploitation/strengthening-reporting-protections-pilot/request- process-form

ये नियम विभिन्न स्थानों पर पाए जा सकते हैं जैसे कि अवार्ड[8] या रजिस्टर्ड रोज़गार समझौता (जैसे कि एन्टरप्राइज़ समझौता),[9] या रोज़गार अनुबंध।

Fair Work Act 2009 [निष्पक्ष कार्य अधिनियम 2009] (Cth)[10] के तहत, वीज़ा धारकों को भी वही मौलिक हकदारियाँ और सुरक्षाएँ प्राप्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अन्य कर्मचारियों को प्राप्त हैं।

इनमें शामिल हैं:

- वेतन तथा पारिश्रमिक - उदाहरण के लिए, 1 जुलाई 2024 को वर्तमान राष्ट्रीय न्यूनतम प्रति घंटा पारिश्रमिक दर, व्यस्क फुलटाइम और पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए $24.10 प्रति घंटा है। न्यूनतम वेतन दरों को सामान्यतया वार्षिक रूप से अपडेट किया जाता है।
- अनुचित रूप से नौकरी से हटाए जाने ('निकाले जाने' या 'बर्खास्त किए जाने') से रक्षा, कुछ परिस्थितियों में।*
- कार्य-स्थल अधिकार का प्रयोग करने के लिए भेदभाव (बुरा बर्ताव किया गया) से रक्षा - उदाहरण के लिए, बीमारी या चोट के कारण काम करने में असमर्थ होने पर छुट्टी लेना, या अपने रोज़गार के बारे में शिकायत या पूछताछ करना।
- कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न और डराया धमकाया जाना।
- भेदभाव से रक्षा इसमें आयु, अक्षमता, जेंडर, जाति, यौन झुकाव तथा आस्था के आधार पर ग़ैर क़ानूनी तौर पर भेदभाव से रक्षा शामिल है।

*अगर आप सोचते हैं कि आपको अनुचित या ग़ैर क़ानूनी रूप से नौकरी से निकाला गया है , तो निष्पक्ष कार्य लोकपाल में इस बारे में दावा करने के लिए आपके पास 21 दिन का समय होता है। नियम तथा छूटें लागू हैं। आपको इस बारे में तुरंत सलाह लेनी चाहिए।[11]

अपने वीज़ा की शर्तों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। अपने वीज़ा की शर्तों को पूरा करने की अपनी क्षमता के बारे में अगर आपकी कोई चिंताएँ हैं तो आपको इस बारे में किसी पंजीकृत माइग्रेशन ऐजेंट (RMA) या क़ानूनी प्रतिनिधि से बातचीत करनी चाहिए या गृह माले विभाग से संपर्क करना चाहिए।[12]

लेकिन, आपकी माइग्रेशन स्थिति कुछ भी हो, कार्य-स्थल क़ानूनों के तहत आपको हकदारियाँ और सुरक्षाएँ प्राप्त हैं। इसमें माइग्रेशन अधिनियम के तहत वो स्थितियाँ शामिल हैं जब:

- अपने वीज़ा की किसी शर्त का उल्लंघन किया है,
- आपके वीज़ा की शर्तों के तहत आपको ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने का अधिकार नहीं है, या
- वर्तमान में आपके पास कोई वीज़ा नहीं है।

कार्य-स्थल पर शोषण के क्या-क्या संकेत होते हैं?

शोषक बर्ताव में ऐसी कई तरह की स्थितियाँ शामिल हो सकती हैं जब कर्मचारी के साथ कार्य-स्थल पर दुर्व्यवहार किया जा रहा होता है।[13] इस दुर्व्यवहार के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि:

- आपका वीज़ा रद्द करने की धमकियाँ।
- काम करने के लिए मजबूर किया जाना।
- अत्यधिक ज़्यादा घंटों तक काम करना।
- न्यूनतम से कम दर पर पारिश्रमिक का भुगतान या अवैतनिक प्रशिक्षण।
- पेस्लिप्स प्रदान नहीं करना ।
- पारिश्रमिक, जमा धन या 'नकद-वापसी' योजनाओं में से अनुचित कटौतियाँ (उदाहरण के लिए आवास, प्रशिक्षण, भोजन या परिवहन के लिए) ।[14]
- कार्य-स्थल हकदारियाँ प्राप्त न होना, उदाहरण के लिए, बीमारी के लिए अवकाश और वार्षिक अवकाश या सुपरएन्युएशन सहित सवेतन अवकाश।
- किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपसे आपका पासपोर्ट ले लेना और अपने पास रख लेना।
- आपके वीज़ा में निर्दिष्ट शर्तों से अधिक काम करने के लिए दबाव।
- नौकरी के लिए पूर्व भुगतान करने या पैसे 'जमा करवाने' के लिए दबाव।
- नियोक्ताओं द्वारा आपको नकद वेतन देकर, कर के भुगतान से बचना।
- कर्मचारी की बजाय एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में वर्गीकृत किया जाना।
- असुरक्षित स्थितियों में काम करना।
- आपके नियोक्ता द्वारा आपको रहने के लिए ख़राब आवास उपलब्ध करवाया जाना, इसमें आपको उस आवास के लिए पैसे देने पर मजबूर करना भी शामिल है।
- कार्य-स्थल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होना।
- यूनियन में शामिल न होने के लिए दबाव।

कार्य-स्थल पर शोषण तब होता है जब कार्य-स्थल अधिकारों और दायित्वों को जाना और समझा नहीं जाता है या नियोक्ता द्वारा उनका अनजाने में या जानबूझकर पालन नहीं किया जाता है।

मेरे वीज़ा की शर्तें मेरे कार्य-स्थल अधिकारों को कैसे प्रभावित करती हैं?

आपके ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा में उस कार्य से संबंधित शर्तें शामिल हो सकती हैं जो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन वीज़ा शर्तों के कारण नियोक्ता द्वारा आपको किन्हीं गतिविधियों को करने, या न करने के लिए उचित रूप से निर्देश दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वीज़ा शर्तों में आपको केवल किसी निश्चित उद्यम (आकुपेशन) में ही काम करने की अनुमति है, तो आपके नियोक्ता द्वारा आपको केवल उसी भूमिका में काम को करने का निर्देश दिया जा सकता है।

आपको वीज़ा प्रदान किए जाने से संबंधित पत्र में, आपके वीज़ा पर लागू होने वाली शर्तों की जानकारी शामिल होगी। अन्यथा, आप गृह मामले विभाग की वेबसाइट पर

---

[8] https://www.fairwork.gov.au/employment-conditions/awards
[9] https://www.fairwork.gov.au/employment-conditions/agreements
[10] https://www.legislation.gov.au/C2009A00028/latest/versions
[11] https://www.fairwork.gov.au/ending-employment/unfair-dismissal
[12] https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details- and-conditions/see-your-visa-conditions

[13] 'शोषण' को आपराधिक संहिता की उपधारा 271.1 द्वारा परिभाषित किया गया है - https://www.legislation.gov.au/C2004A04868/latest/text/2
[14] सभी कटौतियाँ अनुचित नहीं होंगी।

Visa Entitlement Verification Online [वीज़ा हकदारियाँ सत्यापन ऑनलाइन]: Visa holder enquiry (immi.gov.au) (VEVO)[15] के माध्यम से अपने वीज़ा की शर्तों सहित, अपने वीज़ा का विवरण देख सकते हैं।

यदि आपने किसी RMA या क़ानूनी प्रैक्टिशनर को ये काम सौंपा है, तो वे भी आपके वीज़ा की शर्तों के बारे में आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

और अधिक जानकारी

वीज़ा धारक तथा प्रवासी - Fair Work Ombudsman [निष्पक्ष कार्य लोकपाल][16]

National Employment Standards [राष्ट्रीय रोज़गार मानदंड] (NES)[17] रोज़गार की ने न्यूनतम हकदारियाँ हैं जो अधिकाँश कर्मचारियों पर लागू होती है।

Fair Work Information Statement [निष्पक्ष कार्य सूचना वक्तव्य] (FWIS)[18] में NES तथा अन्य न्यूनतम हकदारियों के बारे में जानकारी निहित है। सभी कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा FWIS प्रदान किया जाना आवश्यक है।

Fair Work Ombudsman [निष्पक्ष कार्य लोकपाल]

Fair Work Commission [निष्पक्ष कार्य आयोग]

मेरे घंटे रिकॉर्ड करें

Australian Taxation Office [ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय]

Strengthening Reporting Protections Pilot [रिपोर्टिंग सुरक्षा दृढ़ीकरण पायलट]

कार्य-स्थल न्याय वीज़ा पायलट

ऑस्ट्रेलियाई फैडरल पुलिस

यह दस्तावेज गृह मामले विभाग द्वारा तैयार किया गया है, और इसे RMAs द्वारा वितरित किए जाने का उद्देश्य है। यह दस्तावेज़ किसी RMA द्वारा क़ानूनी सलाह या ईमीग्रेशन सहायता का प्रावधान नहीं है।

[15] https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query

[16] https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-migrants

[17] https://www.fairwork.gov.au/employment-conditions/national-employment-standards

[18] https://www.fairwork.gov.au/employment-conditions/information-statements/fair-work-information-statement